

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद - 67 / 2022

शरद पोद्दार वगै० बनाम् राज्य सरकार

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

31-01-2023

यह वाद अपीलार्थी (1) शरद पोद्दार, (2) मोहित कुमार पोद्दार, दोनों के पिता-पवन कुमार पोद्दार, दोनों निवासी-2 पोद्दार हाउस रोड नम्बर-13, सी०एच० एरिया, फलेवर ऑफ साउथ, के नजदीक, पो०-सोनारी, जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-146/2021-22 शरद पोद्दार वगै० बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ में दिनांक-04.08.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध U/S - 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा-कुन्दरुखुर्द थाना सं०-120 थाना-रामगढ़ के खाता सं०-77 प्लॉट नं०-1590 रकवा-2.12 ए० मध्ये रकवा-1.33 ए०, प्लॉट नं०-1593 रकवा-54 डी० मध्ये रकवा-50 डी०, प्लॉट नं०-1594 रकवा-57 डी०, प्लॉट नं०-1595 रकवा-17 डी० मध्ये रकवा-07 डी०, प्लॉट नं०-1596 रकवा-16 डी० मध्ये रकवा-06 डी०, प्लॉट नं०-1597 रकवा-47 डी०, प्लॉट नं०-1598 रकवा-25 डी०, प्लॉट नं०-1599 रकवा-11 डी०, प्लॉट नं०-1600 रकवा-1.01 ए०, प्लॉट नं०-1605 रकवा-73 डी० मध्ये रकवा-57 डी०, प्लॉट नं०-1606 रकवा-72 डी० मध्ये रकवा-29 डी०, प्लॉट नं०-1607 रकवा-57 डी० मध्ये रकवा-25 डी०, प्लॉट नं०-1608 रकवा-84 डी० मध्ये रकवा-59 डी०, प्लॉट नं०-1609 रकवा-18 डी०, प्लॉट नं०-1610 रकवा-51 डी०, प्लॉट नं०-1611 रकवा-32 डी०, प्लॉट नं०-1612 रकवा-11 डी०, प्लॉट नं०-1622 रकवा-96 डी० मध्ये रकवा-79 डी०, प्लॉट नं०-1625 रकवा-80 डी० मध्ये रकवा-40 डी०, प्लॉट नं०-1626 रकवा-12 डी० कुल जमा खाता 1 प्लॉट 20 का कुल रकवा-8.50 ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

82

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-कुन्दरुखुर्द थाना सं०-120 थाना-रामगढ़ के खाता सं०-77 प्लॉट नं०-1590 रकवा-2.12 ए० मध्ये रकवा-1.33 ए०, प्लॉट नं०-1593 रकवा-54 डी० मध्ये रकवा-50 डी०, प्लॉट नं०-1594 रकवा-57 डी०, प्लॉट नं०-1595 रकवा-17 डी० मध्ये रकवा-07 डी०, प्लॉट नं०-1596 रकवा-16 डी० मध्ये रकवा-06 डी०, प्लॉट नं०-1597 रकवा-47 डी०, प्लॉट नं०-1598 रकवा-25 डी०, प्लॉट नं०-1599 रकवा-11 डी०, प्लॉट नं०-1600 रकवा-1.01 ए०, प्लॉट नं०-1605 रकवा-73 डी० मध्ये रकवा-57 डी०, प्लॉट नं०-1606 रकवा-72 डी० मध्ये रकवा-29 डी०, प्लॉट नं०-1607 रकवा-57 डी० मध्ये रकवा-25 डी०, प्लॉट नं०-1608 रकवा-84 डी० मध्ये रकवा-59 डी०, प्लॉट नं०-1609 रकवा-18 डी०, प्लॉट नं०-1610 रकवा-51 डी०, प्लॉट नं०-1611 रकवा-32 डी०, प्लॉट नं०-1612 रकवा-11 डी०, प्लॉट नं०-1622 रकवा-96 डी० मध्ये रकवा-79 डी०, प्लॉट नं०-1625 रकवा-80 डी० मध्ये रकवा-40 डी०, प्लॉट नं०-1626 रकवा-12 डी० कुल जमा खाता 1 प्लॉट 20 का कुल रकवा-8.50 ए० भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-कुन्दरुखुर्द, थाना नं०-120, थाना-रामगढ़ के खाता सं०-77 सर्वे खतियान में मुरली साहु वो० जगरनाथ साहु वो० सेवक साहु वा० रामदास साहु पेशरान फुलमन साहु वा० मो० एतवारी जोजे शिवचरण साहु वा० भीखू साहु, तेजु साहु, पुना साहु, पेशरान राम बकस साहु, के नाम से दर्ज है। एवं खाता सं०-77 की कुल भूमि पंजी-II के भॉलुम-1 पेज नं०-93 में बाढो साहु वगै० के नाम से जमाबंदी कायम हो कर के ऑनलाईन मालगुजारी रसीद अद्यतन निर्गत है। खतियानी रैयतों में से एक जगरनाथ साहु के एक मात्र पुत्र सुन्नीत साव के तीन पुत्र राधाकृष्ण साव, महावीर साव एवं शिव साव जो तीनों नावलद फोत कर गये एवं मो० एतवारी, पति-शिवचरण साहु के दो पुत्री पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी एवं एक पुत्र नारायण साहु वो० तीनों ही नावलद फोत कर गये वो० सेवक साहु भी नावलद फोत कर गये। इन लोगों के हिस्से की जमीन अन्य खतियानी रैयत मुरली साहु वो० भीखू साहु, तेजु साहु, पुना साहु, पेशरान राम बकस साहु वो० रामदास साहु वो० लोटना साहु, को प्राप्त हुई। खतियानी रैयतों के मृत्यु के पश्चात उक्त खाते की भूमि जीवित रैयत राधेश्याम अग्रवाल, गौरी शंकर अग्रवाल दोनों के पिता-स्व० बाढो साव, गणेश प्रसाद, रतन साव, प्रदीप कुमार तीनों के पिता-स्व० बासुदेव साव, राम अवतार साव, पिता-स्व० पुना साव, गौरी शंकर अग्रवाल, पिता-स्व० किशोरी प्रसाद अग्रवाल, बिनोद कुमार, सुनील कुमार, दोनों के पिता-स्व० भुनेश्वर साव, राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, पिता-स्व० मोहन प्रसाद अग्रवाल, अनिल कुमार अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, दोनों के पिता- बृजमोहन प्रसाद उक्त खाता नं०-77 पे सम्पूर्ण भूमि पर दखलकार हुए। मौजा-कुन्दरुखुर्द थाना सं०-120 थाना-रामगढ़ के खाता सं०-77

प्लॉट नं०-1590 रकवा-2.12 ए० मध्ये रकवा-1.33 ए०, प्लॉट नं०-1593 रकवा-54 डी० मध्ये रकवा-50 डी०, प्लॉट नं०-1594 रकवा-57 डी०, प्लॉट नं०-1595 रकवा-17 डी० मध्ये रकवा-07 डी०, प्लॉट नं०-1596 रकवा-16 डी० मध्ये रकवा-06 डी०, प्लॉट नं०-1597 रकवा-47 डी०, प्लॉट नं०-1598 रकवा-25 डी०, प्लॉट नं०-1599 रकवा-11 डी०, प्लॉट नं०-1600 रकवा-1.01 ए०, प्लॉट नं०-1605 रकवा-73 डी० मध्ये रकवा-57 डी०, प्लॉट नं०-1606 रकवा-72 डी० मध्ये रकवा-29 डी०, प्लॉट नं०-1607 रकवा-57 डी० मध्ये रकवा-25 डी०, प्लॉट नं०-1608 रकवा-84 डी० मध्ये रकवा-59 डी०, प्लॉट नं०-1609 रकवा-18 डी०, प्लॉट नं०-1610 रकवा-51 डी०, प्लॉट नं०-1611 रकवा-32 डी०, प्लॉट नं०-1612 रकवा-11 डी०, प्लॉट नं०-1622 रकवा-96 डी० मध्ये रकवा-79 डी०, प्लॉट नं०-1625 रकवा-80 डी० मध्ये रकवा-40 डी०, प्लॉट नं०-1626 रकवा-12 डी० कुल जमा खाता 1 प्लॉट 20 का कुल रकवा-8.50 ए० भूमि रिविजनकर्ता ने भूमि के वास्तविक मालिक एवं दखलकार राम अवतार साव वगै० से निबंधित बिक्रय पत्र संख्या-1195, दिनांक-12.10.2020 से खरीद कर दखलकार हुए। उक्त निबंधित बिक्रय पत्र के आधार रिविजनकर्ता द्वारा दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी, रामगढ़ को आवेदन दिया गया है। जिसे अंचल अधिकारी ने यह प्रतिवेदित करते हुए आवेदन खारिज किया गया की बिक्रेता का जमाबंदी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है एवं जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होता है। उक्त आदेश के विरुद्ध में रिविजनकर्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील संख्या-146/2021-22 दायर किया गया उक्त न्यायालय में भी रिविजनकर्ता के बिक्रेताओं के नाम से कायम जमाबंदी पर बिना विचार किये अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया है। उनका आगे कहना है कि दाखिल खारिज आवेदन में मुलतः दो तथ्यों से संतुष्ट होना आवश्यक है। पहला बिक्रेता की जमाबंदी कायम होनी चाहिए एवं दुसरा भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा होना चाहिए वर्तमान में बिक्रेताओं के पूर्वजों के नाम से जमाबंदी भॉल्युम-1 पेज नं०-93 में कायम है एवं खरीदगी भूमि पर रिविजनकर्ता का चाहरदिवारी होकर शांति पूर्ण दखल कब्जा है। इस प्रकार दाखिल खारिज के सभी आर्हर्ताओं को पुरा करता है इस लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या-146/2021-22 में दिनांक-04.08.2022 के पारित आदेश को खारिज करते हुए रिविजनकर्ता के नाम से दाखिल खारिज करने का निदेश अंचल अधिकारी, रामगढ़ को देने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा-कुन्दरुखुर्द थाना सं०-120 थाना-रामगढ़ के खाता सं०-77 प्लॉट नं०-1590 रकवा-2.12 ए० मध्ये रकवा-1.33 ए०, प्लॉट नं०-1593 रकवा-54 डी० मध्ये रकवा-50 डी०, प्लॉट नं०-1594

रकवा-57 डी०, प्लॉट नं०-1595 रकवा-17 डी० मध्ये रकवा-07 डी०, प्लॉट नं०-1596 रकवा-16 डी० मध्ये रकवा-06 डी०, प्लॉट नं०-1597 रकवा-47 डी०, प्लॉट नं०-1598 रकवा-25 डी०, प्लॉट नं०-1599 रकवा-11 डी०, प्लॉट नं०-1600 रकवा-1.01 ए०, प्लॉट नं०-1605 रकवा-73 डी० मध्ये रकवा-57 डी०, प्लॉट नं०-1606 रकवा-72 डी० मध्ये रकवा-29 डी०, प्लॉट नं०-1607 रकवा-57 डी० मध्ये रकवा-25 डी०, प्लॉट नं०-1608 रकवा-84 डी० मध्ये रकवा-59 डी०, प्लॉट नं०-1609 रकवा-18 डी०, प्लॉट नं०-1610 रकवा-51 डी०, प्लॉट नं०-1611 रकवा-32 डी०, प्लॉट नं०-1612 रकवा-11 डी०, प्लॉट नं०-1622 रकवा-96 डी० मध्ये रकवा-79 डी०, प्लॉट नं०-1625 रकवा-80 डी० मध्ये रकवा-40 डी०, प्लॉट नं०-1626 रकवा-12 डी० कुल जमा खाता 1 प्लॉट 20 का कुल रकवा-8.50 ए० भूमि सर्वे खतियान में मुरली साहु वो० जगरनाथ साहु वो० सेवक साहु वा० रामदास साहु पेशरान फुलमन साहु वा० मो० एतवारी जोजे शिवचरण साहु वो० भीखू साहु, तेजु साहु, पुना साहु, पेशरान राम बकस साहु, के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है उक्त भूमि निबधित केवाला संख्या-1195, दिनांक-12.10.2020 से भूमि के वास्तविक मालिक से क्रय किया गया है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि का जमाबंदी पूर्व में राधा कृष्ण वर्ग० के नाम से था एवं इसका लगान रसीद भी राधा कृष्ण वर्ग० के नाम से निर्गत है। चालु पंजी-II के पृष्ठ संख्या-93/1 में बाढ़ो साई वो० त्रिभुवन साई वो० जलेश साई, पेशरान भीखू साव के नाम से खाता संख्या-77 कुल रकवा-17.18 ए० की जमाबंदी दर्ज दिखाया गया है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि पंजी-II के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि मूल पृष्ठ को बदलकर नया पृष्ठ जोड़ा गया है। भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा मठ की जमीन को हड़पने की नियत से राधा कृष्ण मठ के नाम से राजस्व पंजी-II के पृष्ठ को हटाकर बाढ़ो साई वर्ग० के नाम से अंकित कराया गया है। उक्त शिकायत के संबंध में लगान रसीद निर्गत बही (IIIA) से जाँच कराया गया तथा पाया गया कि रसीद संख्या-3877339 वर्ष-2004-05 एवं रसीद संख्या-6745459 वर्ष-2012-13 खाता संख्या-77, राधा कृष्ण वर्ग० के नाम से निर्गत किया गया है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा यह प्रतिवेदित नहीं किया गया है कि खाता नं०-77 खतियान में मुरली साहु वर्ग० के नाम से है तो उसका हस्तांतरण राधा कृष्ण मठ के नाम से कैसे हुआ। इस संबंध में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के द्वारा भी स्पष्ट नहीं किया गया है। रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौजा-कुदरूखुर्द के खाता संख्या-77 प्लॉट संख्या-1590 रकवा-0.40 ए० भूमि रामअवतार साव वर्ग० के द्वारा केवाला संख्या-1648 दिनांक-11.06.2013 से श्रीमती माया शुक्ला को भूमि बिक्री की गई है। उक्त केवाला के आधार पर अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने दाखिल खारिज वाद संख्या-702/2014-15 से स्वीकृति प्रदान

करते हुए रसीद निर्गत किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त खाता में पूर्व में भी अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा दाखिल खारिज की गई है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा भूमि प्रतिवेदन निर्गत किया गया है, जिससे दखल कब्जा स्पष्ट करता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या-146/2021-22 शरद पोद्दार वगै० बनाम अंचल अधिकारी, रामगढ़ में दिनांक-04.08.2022 को पारित आदेश को Set-aside करते हुए रिवीजन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

शोधविधि

31-01-2023

उपायुक्त,

रामगढ़।

शोधविधि

31-01-2023

उपायुक्त,

रामगढ़।